सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

हमारे जीवन से जुड़ी कुछ मुलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, राशन, पानी, बीज, खाद, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि हमें सरकार द्वारा प्रदत्त हैं। इसके अतिरिक्त सरकार आम जनमानस के जीवन को अधिक से अधिक बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं–परियोजनाओं को क्रियान्वयन भी करती है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो नीति बनाई जाती है वे सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से पहले सरकारी कार्यालयों से उनके द्वारा लिए जा रहे निर्णयों व क्रियान्वित की जा रही नीति के बारे में हम पूछ तो सकते थे लेकिन अधिकारी हमारे द्वारा पूछे गये प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं था। संविधान में यह तो कहा गया है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेय है लेकिन सरकारी कार्यालयों में क्या हो रहा है ?कैसे हो रहा है ?कोई निर्णय कैसे लिया जा रहा है ?सरकार की योजनायें क्या हैं ?इस संबंध में आम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं मिलती थी।

संसद ने 11 मई, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया और 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया है। इस अधिनियम का मूल उद्‌देश्य यह है कि आम जनमानस व सरकार के बीच एक मजबूत एवं सहज रिश्ता हो। गोपनीयता के नाम पर आम जनमासन को सरकारी कामकाज़ से दूर न रखा जाए बल्कि विकास कार्यों में उसकी अधिक से अधिक भागीदारी हो। हम सरकारी कामकाज़ के बारे जाने, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की व उसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी हमें मिले, जनता को जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर सरकार के किसी विभाग को काम करना चाहिए वहाँ पर वह उस विभाग को सुझाव दे सके, ताकि हम अपने समाज, अपने क्षेत्र के प्रति अपने दायित्वों व जिम्मेदारियों को अधिक से अधिक निर्वहन कर सकें।

सूचना के अधिकार का अर्थ ?

सूचना के अधिकार का अर्थ है किसी भी सरकारी कार्यालय या सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली किसी भी गतिविधि के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना माँगना हमारा कानूनी अधिकार है। जिस भी अधिकारी से सूचना माँगी जाए, वह सूचना को निश्चित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य है।

सरकारी स्तर पर कोई भी कार्य बिना किसी लिखित दस्तावेज के नहीं होता। सरकारी ढ़ाँचा फाइलों और दस्तावेजों के माध्यम से ही चलता है। इन फाइलों या दस्तावेजों को देखने से हम यह पता लगा सकते हैं कि सरकार द्वारा कोई निर्णय कैसे लिया गया और क्यों लिया गया। किसी को यदि इन दस्तावेजों की समझ न हो तो वह संबंधित अधिकारी से इस संबंध में लिखित जवाब भी माँग सकते हैं और सूचना के कानूनी अधिकार के कारण अधिकारी सूचना उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य हैं। सूचना न देने पर वह अधिकारी दण्ड का पात्र है।

उदाहरण के लिए आपके गाँव में जो पानी का नल है उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो आप संबंधित कार्यालय (जल संस्थान) के अधिकारी से पूछ सकते हैं कि हमारे गाँव में पानी न आने की समस्या पर विभाग किस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है। आप दस्तावेजों को देख कर यह भी पता लगा सकते हैं कि क्या ग्राम प्रधान ने इस संबंध में विभाग को सूचित किया है अथवा नहीं। और यदि किया है तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। हम अधिकारी से यह भी पूछ सकते हैं कि समस्या के निदान में कितना सम्भावित समय लगेगा और अधिकारी आपको लिखित में जवाब देने के लिए बाध्य है।

आपके गाँव में कोई समस्या है जैसे रास्ते टूटे हुए हैं, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, सरकारी चिकित्सालयों में दवाईयाँ नहीं है, ए. एन. एम. नियमित रूप से गाँव नहीं आ रही है, राशन की दुकान में समय से राशन नहीं मिल पा रहा है आदि तो आप संबंधित अधिकारी से सभी प्रकार की समस्याओं का कारण या समस्याओं के निदान के लिए सरकारी स्तर क्या कार्यवाही की जा रही है यह पूछ सकते हैं।

सूचना के अधिकार का महत्व

सूचना के अधिकार का महत्व समझने से पूर्व हमें यह समझना चाहिए कि हमें किसी भी संबंध में सूचना की आवश्यकता पड़ती क्यों है ? हमारे आसपास सरकारी स्तर पर जो भी हो रहा है – वह क्यों हो रहा है ? कैसे हो रहा है ?होने की प्रक्रिया क्या है ? और यदि कुछ ऐसा है जो हमें लगता कि होना चाहिए पर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ?इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें सूचना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में तभी आयेंगे जब हम स्वयं को अपने आसपास के परिवेश के प्रति जिम्मेदार बनायेंगे, स्वयं को विकास में भागीदार बनायेंगे। हम अपनी भागीदारी को तभी निभा पायेंगे जब हमें हमारे जीवन के प्रति या अपने आसपास के परिवेश के प्रति लिये गये सभी निर्णयों की सही व प्रमाणित जानकारी हो।

सूचना के अधिकार का सही प्रयोग करने पर हम सरकारी स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं – स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना है। हम भोजन करते हैं तो हमें लगता है कि दाल में दाल के दाने तो हैं ही नहीं सिर्फ पानी ही पानी है और चावल में चावल से अधिक तो कंकड़ हैं। इस स्थिति में हम स्कूल प्रशासन से सूचना माँग सकते हैं कि स्कूल में दोपहर के भोजन के लिए कितना पैंसा या कितना राशन आता है ?उस पैंसे से कितना राशन किस मूल्य पर और कहाँ से खरीदा जाता है ? एक दिन में बच्चों को भोजन कराने में कितना राशन लगता है ?स्कूल प्रशासन आपको यह सूचना देने के लिए बाध्य है। इन सूचनाओं के आधार पर यह पता लग जायेगा कि सरकार द्वारा दोपहर के भोजन के लिए जो राशन मिल रहा है वह उसी मात्रा में व उसी स्थिति में आपकी थाली तक पहुँच भी पा रहा है या नहीं।

लोक सूचना अधिकारी

सभी सरकारी कार्यालयों में सूचना देने के लिए अधिकारी विशेष रूप से नियुक्त किये गये हैं इन्हें लोक सूचना अधिकारी कहते हैं। इन अधिकारियों का यह दायित्व है कि यह जनता द्वारा माँगी जाने वाली सूचना को उपलब्ध करवायें। इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी के निम्न कर्तव्य हैं :

- ☺ नागरिकों को उनके द्वारा माँगी जाने वाली सरकारी कामकाज़ संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाना।
- ☺ यदि सूचना का आवेदन–पत्र गलत अधिकारी के पास पहुँच गया हो तो उसे सही अधिकारी तक पहुँचाना।
- ☺ जनता की सूचना संबंधी समस्याओं की सुनवाई करना। समस्याओं के निदान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है इस संबंध में भी उन्हें सूचित करना।
- ☺ अगर सूचना संबंधी किसी आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जाता है तो अस्वीकार करने के कारण व सही आवेदन करने की जानकारी आवेदन कर्ता को देना।

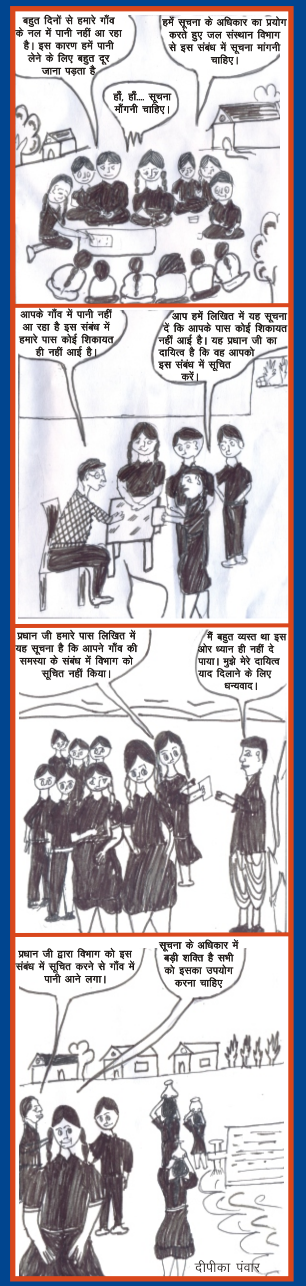

सूचना के लिए आवेदन की प्रक्रिया

- जिस संबंध में सूचना चाहिए उस से संबंधित लोक सूचना अधिकारी को हिन्दी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में सादे कागज़ पर एक आवेदन पत्र दें।
- आवेदन पत्र में यह बताना आवश्यक नहीं है कि सूचना क्यों चाहिए। सिर्फ अपना नाम, पता आदि की जानकारी देनी होती है।
- उत्तराखंड राज्य में सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रूप में 10 रु. का भुगतान करना होता है। यदि किसी दस्तावेज की फोटोस्टेट लेनी है तो 2 रु. प्रति प्रतिलिपि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सूचना का अधिकार पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए उन्हें सूचना के अनुरोध पत्र के साथ गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
- सूचना के अधिकार अधिनियम में यह व्यवस्था है कि सामान्य परिस्थितियों में आवेदन मिलने के 30 दिनों के अन्दर सूचना आवेदन कर्ता को उपलब्ध करवा दी जाए। सूचना यदि तय समय सीमा के भीतर नहीं दी गई तो उसे सूचना ना देने के बराबर माना जाएगा।
- यदि कोई आवेदन कर्ता आवेदन पत्र लिखने में असमर्थ हो तो सूचना अधिकारी उन्हें सहायता प्रदान करते हुए उनके मौखिक अनुरोध को लिखित रूप से दर्ज करेंगे।
- अगर सूचना अधिकारी आवेदन कर्ता से ज्यादा शुल्क माँगता है तो उसे उसकी पूरी जानकारी आवेदनकर्ता को देनी होगी।

सूचना न मिलने पर

लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना देने में विलम्ब करने या आंशिक अथवा गलत सूचना मिलने पर उसी विभाग के अपील प्राधिकारी के पास प्रथम स्तर पर अपील का प्राविधान है। यदि प्रथम स्तर की अपील के बाद भी सूचना प्राप्त करने में कठिनाई हो तो राज्य सूचना आयोग से द्वितीय स्तर की अपील की जा सकती है।

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग दूसरे स्तर का अपीलीय निकाय है। यदि कोई अनुरोधकर्ता प्रथम स्तर पर विभागीय अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अनुरोधकर्ता राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील कर सकता है।

राज्य सूचना आयोग आपके द्वारा दी गयी अपील की जाँच करेगा और ऐसा करते समय यह एक न्यायालय के समान की काम करेगा। इस अपील पर 30-45 दिनों के बीच निर्णय दिया जायेगा और अगर शिकायत सही साबित हुई तो आयोग सूचना प्राप्त करवाने में आपकी सहायता करेगा।

सूचना न देने पर या सूचना देने पर देरी करने पर अधिकारी पर आयोग 250 रूपये प्रति दिन की देरी के हिसाब से अधिकतम 25,000 रूपये तक का जुर्माना कर सकता है।

सूचना के अधिकार की सार्थकता तभी है जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने व सामाजिक विकास के लिए इसका भरपूर उपयोग करें ताकि हम सरकारी तंत्र में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें।

हमारे सहयोगी संस्थान

1. सरल, बेलवाखान, नैनीताल
2. चेष्टा, ज्योलीकोट, नैनीताल
3. विमर्श, भीमताल, नैनीताल
4. सुधा, ताकुला, अल्मोडा
5. सिमार, गरूड, बागेश्वर
6. सिमार, देवाल, चमोली
7. अर्पण, कनालीछीना, पिथौरागढ
8. कगास, चम्पावत, चम्पावत
9. कगास, खटीमा, ऊधम सिंह नगर
10. एडोप्ट मैनजमेंट संस्थान, रायपुर, देहरादून
11. ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, रानीचौरी, टिहरी
12. माउन्ट वैली डवेलपमेंट एसोसियेशन, भिलंगना
13. ग्रामीण महिला विकास समिति पुरोला, उत्तरकाशी
14. श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, डुण्डा, उत्तरकाशी
15. श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, गैरसैंण, चमोली
16. सोसायटी फॉर एनवायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, कालसी
17. ग्रामीण सुधार एवं श्रमिक सेवा संस्थान (ग्रास), जखोली
18. जन चेतना केन्द्र, खिर्सु, पौडी

पर्वतीय बाल मंच

Asha for Education
Bringing hope through education

पर्वतीय बाल मंच
पोस्ट बॉक्स न. - 245
63 ए व्योम प्रस्त, जनरल महादेव सिंह रोड़
देहरादून (उत्तराखण्ड)
e-mail : mcfglobal@mymountains.org
Website : www.mymountains.org

बच्चे और सूचना का अधिकार